

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

सचिका संख्या-1/सी0एल0-10-10/2017 श्र०सं०

3594

9062  
3-7-17

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/राजस्व एवं भूमि

सुधार विभाग/स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग

गृह विभाग (CID क0ब0)/अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण

विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण

विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क

विभाग/पंचायती राज विभाग/विधि विभाग।



निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद

सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

पटना, दिनांक 6.7.17

विषय:- बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास विषयक संशोधित राज्य कार्य योजना के प्रारूप पर विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

प्रसंगिक विषय के संबंध में कहना है कि बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना प्रारूप में संशोधन प्रक्रियाधीन है जिसमें आपके विभाग के दायित्वों को भी पुनर्निर्धारित किया जाना है। उक्त के आलोक में बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास विषयक संशोधित राज्य कार्य योजना प्रारूप को विभागीय पत्रांक 3037 दिनांक-30.05.2017 के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है। ज्ञात हो कि उक्त प्रारूप को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12.06.2017) के अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनमानस के विचार/मन्तव्य हेतु भी जारी कर दिया गया है, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास विषयक संशोधित राज्य कार्य योजना को अंतिम रूप देने हेतु आपका मंतव्य/सुझाव काफी महत्त्वपूर्ण है, जिसके लिए एक बैठक मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक-11.07.2017 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11.30 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक हेतु निर्धारित समय पर अपने मंतव्य/सुझाव के साथ भाग लेने की कृपा की जाय ताकि आपके बहुमूल्य मंतव्य/सुझाव को बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास विषयक संशोधित राज्य कार्य योजना में शामिल किया जा सके।



विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव।